IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

पंचायतों में निर्वाचित महिलायें : चुनौतियाँ एवं समाधान

सोहनलाल
सह अचार्य राजनीति विज्ञान विभाग
चौधरी बल्लू राम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्रीगंगानगर

शोध सार

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के अध्ययन से स्पष्ट है कि 1959 से 1988 तक पंचायतीराज संस्थाओं के पांच निर्वाचन हुये। इस जिले में एक भी महिला सरपंच/उपसरपंच /जिला परिषद सदस्य/पंचायत समिति प्रधान का चुनाव जीत कर नहीं आई और किसी महिला ने वार्ड पंच तक का चुनाव नहीं लड़ा। इस दौरान इस क्षेत्र में पुरुषों ने महिलाओं को राजनीति में निर्वाचित होकर नहीं आने दिया। उन्होंने राजनीति को महिलाओं के लिए निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर रखा। मात्र पंचायतों में उन्हें सहवृत्त सदस्यों के रूप में सम्मिलित कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती थी। उन्हें राजनीति की मुख्यधारा में नहीं आने दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि यहां का रूढ़िवादी समाज महिलाओं को राजनीति में सक्रिय सहभागिता के संदर्भ में कैसी सोच रखता था।

73वें पंचायतीराज संशोधन अधिनियम के क्रांतिकारी प्रावधानों से महिलाओं ने राजनीतिक सशक्तिकरण की ओर लम्बी छलांग (Quantum Leap) लगाई। विगत दो दशकों के अनुभवमूलक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि वंचित वर्ग एवं हजारों वर्षों से उपेक्षित महिला वर्ग की राजनीति में सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित किये जाने के लिए पंचायतीराज संस्थायें प्रयासरत है. साथ ही निराशाजनक खेद इस बात का भी होता है कि सदियों से विरासत में मिली, जांची–परखी तृणमूल स्तर की इस (पंचायतीराज व्यवस्था) श्रेष्ठ एवं विकल्प रहित व्यवस्था को हम सक्षम ढंग से लागू क्यों नहीं कर पा रहे है। स्थानीय सुशासन की पंचायतीराज व्यवस्था को हम अपनी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानते है जो हमारे जीवन में रची–बसी है। इसके सुचारू परिचालन में हम पीछे क्यों है, यह विचारणीय प्रश्न है?

शब्द कुंजी : महिला प्रतिनिधि, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक दबाव, सक्रियता, भागीदारी, प्रशिक्षण, सशक्तिकरण।

शोध आलेख

स्वाधीन भारत जनसंख्या में महिलाओं का आधा भाग होने के बाद भी वे उपेक्षित एवं वंचित तबके का जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। यद्यपिइ स आधी आबादी को अब पर्याप्त संख्या में आर्थिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों तथा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में भाग लेने दिया जा रहा है लेकिन यथार्थ में वे न तो इस प्रक्रिया से लाभांवित हो रही है और न ही मनोआकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस परिवर्तन की लहर को अपने पक्ष में करने में सक्षम है। पंचायती राज संस्थाओं में ऐसा बहुत ही कम हो पाता है कि ग्राम्य परिवेश की महिलायें प्रत्यक्षतः स्वयं अपने बलबूते पर चुनाव जीत पाती है। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि जो महिलायें चुनाव जीतकर आती है उसमें उसके परिवार के पुरूष वर्ग की प्रभावी भूमिका होती है। प्रस्तुत शोध आलेख में राजस्थान राज्य तृणमूल स्तर की इस व्यवस्था की निर्वाचित महिलाओं के अनुभाविक प्रमाणों के आधार

पर राज्य की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक स्थिति एवं राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी का यथार्थ लेखा–जोखा प्रस्तुत किया गया है।

राजस्थान में महिलाओं की परिस्थिति के संदर्भ में यह विडम्बना है कि स्त्रियों को जिस दृष्टि से समाज द्वारा देखा जाता है उनके साथ –साथ कदम पर लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक होने का एहसास कदम दर कदम कराया जाता है। भारतीय समाज की यह सबसे बड़ी त्रासदी है। भले ही महिलाओं के द्वारा संघर्षमयी जीवन के बलबूते पर कुछ विशेष स्थानों अथवा अच्छे पदों पर पुरूषों के समकक्ष आने में कामयाब हो गई हों,पर वहां भी वे पुरूषों की अवहेलना का शिकार रहती है। अतः ऐसा कहा जाता है कि संसार की उन्नति के समस्त आयाम महिला के विकास पर पूर्णतः अवलम्बित है। महिला जगत की सक्रियता एवं सहभागिता जैसे शब्दों को धरातल पर साकार कर देने से ही कोई राष्ट्र विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है उन्हें परित्यक्त एवं अपमानित करके नहीं।

पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिलाओं की चुनौतियाँ :–

निर्वाचित महिला प्रतिनिधि दोहरी समस्यों से रू–ब–रू होती है। क्योंकि यहां वे पंचायतों में अपने अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती, वहीं घर में उनकी स्थिति कमजोर है। प्रशिक्षण सूचना एवं सामाजिक समर्थन के अभाव में और कानूनी प्रक्रिया में बारम्बार बदलाव उनकी कार्य करने की क्षमता को बाधित करता है। पुरूषवादी मानसिकता के लोग यह तर्क देकर महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं को काम करने में रूकावट पैदा करते है कि महिलाओं का असली जगह घर है, पंचायत आफिस नहीं। परिवार के पुरूष सदस्य महिलाओं को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करते है। सरपंच का पति (एसपी), 'सरपंच दा मुंडा' (एसडीएम) एवं प्रधान पति (पीपी) पंचायत राज संस्थानों की समस्त बैठकों में भाग लेते है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधि को मात्र हस्ताक्षर करने के लिए ही आमंत्रित किया जाता है।

1. राजनीति में पुरूष आधिपत्य
2. अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का उचित ज्ञान नहीं
3. नामांकन से लेकर समस्त कार्यों में पुरूष हस्तक्षेप
4. बैठकों में महिलाओं का अकेली ना जा पाना
5. अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर सामाजिक दबाव
6. लोक–लाज का भय
7. पति द्वारा तैयार प्रस्ताव को बैठक में रखना
8. नौकरशाही द्वारा उपेक्षा
9. मात्र कठपुतली बनकर रह जाना
10. पुरूष प्रतिनिधियों द्वारा तरजीह न दिया जाना
11. अधिकत्तर महिलाओं की आय का स्त्रोत मजदूरी होना
12. महिला प्रतिनिधियों का अन्य लोगों से न मिल पाना
13. शैक्षिक योग्यता के प्रावधानों के कारण निर्वाचन प्रक्रिया से वंचित रहना
14. अल्प शिक्षा के कारण पंचायतीराज कार्यप्रणाली को न समझ पाना
15. राजनीतिक अनुभव की कमी
16. दबाववश चुनाव लड़ना

17. अधिकारों के अभाव के कारण महिलाओं की मात्र निरीक्षणकर्ता की भूमिका
18. पंच–प्रतिनिधियों की मुख्य समस्या है उन्हें अनुदान जारी नहीं किये जाते, जिस कारण उनके वार्ड का सामुदायिक कार्य नहीं हो पाता
19. जन–जागृति के अभाव में बैठक का कोरम पूरा न हो पाना
20. फर्जी हस्ताक्षरों से बैठकों का कोरम पूरा करना
21. लाल फीताशाही एवं भ्रष्टाचार के कारण योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन न हो पाना
22. विकास योजनाओं का अन्य सरकार विभागों पर निर्भर होना
23. विभिन्न विभागों द्वारा सत्ता स्थानान्तरण न करना
24. 'मनी, मसल्स एंड माफिया' (M^3) द्वारा महिला सहभागिता को हतोत्साहित करना
25. महिलाओं में सम्प्रेषण कौशल का अभाव
26. महिलाओं में अभिव्यक्ति कला का अभाव
27. राजनीतिक अपराधिकरण
28. गिरता नैतिक स्तर
29. पराजित प्रतिद्वंदी महिला के परिजनों द्वारा पूरे कार्यकाल के दौरान परेशान करना
30. संसद/विधान सभाओं में महिला प्रतिनिधियों की कम होती गरिमा
31. पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता

पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिलाओं की चुनौतियों का समाधान

इन समस्याओं के समाधान के प्रयास केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा परवर्तित योजनाओं के माध्यम से अनेक संवैधानिक प्रावधान किए गए लेकिन चुनौतियां विकट है उनके लिए किए गए प्रयास 'ऊँट के मुँह में जीरा' के समान है। राजस्थान में भामाशाह योजना, चिरंजीवी योजना, नरेगा योजना, इंदिरा शक्ति योजना महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय जयपुर पंचायती राज संस्थान के नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा देश की आधी आबादी के सर्वांगीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है। इन संस्थाओं के सभी स्तरों के जनप्रतिनिधियों की भागीदारी एवं अपने दायित्वों के प्रति संवेदनशीलता से पंचायतीराज में सुदृढ़ स्थानीय शासन का सपना साकार हो सकेगा। संस्थान द्वारा किए गए प्रयासों में पंचायती राज के महिला प्रतिनिधियों को उनके संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन तथा उन्हें अधिक जागरूक बनाने की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हुए है। स्वच्छ, स्वस्थ, स्वावलम्बी, शिक्षित एवं सशक्त ग्राम्य भारत का सपना महिला प्रतिनिधियों के अविराम संघर्ष से साकार हो सकेगा।

1. विकास योजनाओं का क्रियान्वयन गांव में किया जाये एवं उससे जुड़े पूरे अधिकार, वितीय संसाधन, अधिकारियों/कर्मचारियों पर नियंत्रण ग्राम पंचायतों को ही दिया जाना चाहिए। उन विषयों पर राज्य सरकार के किसी भी विभाग को दखलअंदाजी नहीं करना चाहिए।
2. प्रथम बार निर्वाचित महिलाओं के लिए विशेष दक्षता शिविर आयोजित किये जाये।
3. राज्य सरकार, समुदाय, गैर सरकार संगठन एवं ग्रामीण संगठन सभी महिलाओं की क्षमता निर्माण के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे तभी महिलायें सशक्त होकर रचनात्मक विधि से अपनी ग्राम सरकार को संचालित कर पायेंगी।

4. महिलाओं में आत्मविश्वास सृजन के लिए आवश्यकता है बहुउद्देश्यीय रणनीति की, जिसमें सतत् जागरूकता, ग्रामीण विकास योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहभागिता, उपलब्ध अवसरों को उपयोग करने हेतु प्रोत्साहन, तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने की अनिवार्यता हो जिससे वे बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि संस्थाओं को आमजन के लिए सुलभ बना सके।
5. निर्वाचित महिलाओं (पंच/सरपंच) में सूचनाओं एवं जागृति के लिए पंचायती राज प्रणाली की क्रियाविधि एवं अन्य विकास योजनाओं को स्थानीय भाषा या साधारण भाषा में अनुवादित किया जाये। शैक्षणिक योग्यता होने के बावजूद वे पंचायती राज एवं अन्य विभागों की जटिल शब्दावली को समझ पाने में वे नाकाम रहती है।
6. आर्थिक निर्भरता से निजात पाने के लिए आवश्यक है कि सरकार के द्वारा जो बजट जारी किया जाता है उसका 1/3 भाग महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए स्वयं सहायता समूहों के विकास, शिक्षा एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर खर्च हो। तभी महिलाएं न केवल पारिवारिक निर्णयों के निर्माण में अपितु सामुदायिक निर्णयों के निर्माण में आगे आयेंगी। उसमें अद्यतन जानकारी रखने की महत्वाकांक्षा जागृत होगी।
7. निर्वाचित महिला प्रतिनिधि की शक्तियों का उपभोग उसके पुरुष संबंधियों द्वारा किया जाता है। इसको तभी रोका जा सकता है जब महिला स्वयं आवश्यक जानकारियों से अद्यतन होंगी, पुरूष निर्भरता कम होगी। इसके लिए आवश्यक है कि निर्वाचन पूर्व महिलाओं के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम एवं महिला प्रत्याशियों की छंटनी हो।
8. ग्राम सचिवों द्वारा कानूनी कार्यवाही का भय दिखाकर महिला प्रतिनिधियों को अपने हितों के अनुकूल कार्य करने के लिए मजबूरी को दूर करने के लिए आवश्यक है कि उनमें पंचायतीराज कार्य प्रणाली की समझ विकसित की जाये।
9. प्रत्येक ग्राम में ग्राम पंचायत हो।
10. ग्राम पंचायत की बैठक का स्थान, दिनांक व समय पूर्व निश्चित हो।
11. बैठकों के कोरम को पूरा करने के लिए महिला प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है। बैठकों के निर्णय निर्माण में उनकी अहम भूमिका हो, इसके लिए जरूरी जन–जागरण हो।
12. बैठक का कोरम पूरा करने के लिए कई बार देखने में आता है फर्जी हस्ताक्षर करवा लिये जाते है।
13. बैठक का दिन/दिनांक/समय/स्थान समय पर सूचित किया जाये।
14. बैठक की दिनांक एवं समय स्थान ऐसा हो जिसमें अधिकत्तर प्रतिनिधियों को असुविधा न हो।
15. महिला प्रतिनिधियों को बैठक में उपस्थित होने के लिए क्षतिपूर्ति राशि दी जाने की व्यवस्था हो।
16. बैठक का एजेण्डा पूर्व में ही सदस्यों को सूचित कर दिया जाये ताकि महिला प्रतिनिधि उस एजेण्डे के अनुरूप स्वयं की पूरी तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित हो।
17. अधिकत्तर पंचायत प्रतिनिधि अपनी शक्तियों एवं वित्तिय संसाधनों का व्यय ऐसी जगहों पर करते है, जहां पर उन्हें कुछ आर्थिक लाभ हो सके एवं समृद्ध लोगों के क्षेत्र विशेष के विकास में खर्च करते है। जो लोग उन्हें चुनाव में चंदा या सहयोग करते है उनके क्षेत्र विशेष को प्राथमिकता दी जाती है। उन्हें समान रूप से विकास करना चाहिए।
18. गैर सरकारी संस्थायें समस्या पहचान करने, मूल्यांकन करने, योजनाएं बनाने, क्रियान्वयन करने, संसाधनों का विस्तार करने, महिलाओं एवं अनुसूचित जातिध्जनजाति के लोगों का सशक्तिकरण करने में सहयोग लिया जाये।
19. उच्च स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के सदस्यों के साथ निम्नस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के सदस्यों के साथ समय–समय पर परिचर्चा आयोजित की जाये।

20. महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए सामाजिक मानदण्डों को सकारात्मक परिवर्तित कर अच्छी शुरूआत की जाये।

21. सामाजिक संरचना में परिवर्तन करने का प्रयास हो।

22. पारदर्शी अंकेक्षण व्यवस्था स्थापित की जावे। जिससे भ्रष्टाचार एवं लाल फीताशाही दूर हो। पंचायतीराज संस्थाओं की बहुत सारी महिलाओं के विरूद्ध वित्तिय अनियमतता के प्रकरण लम्बित है।

23. वंचित तबके की महिलायें मात्र प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व की भूमिका का निर्वहन करती है। इस समस्या के निजात के लिए आवश्यक है कि नियमित रूप से उन्हें पंचायतीराज संस्थाओं की उच्चस्तरीय पदस्थ महिलाओं से विचार–विमर्श करवाया जाये, ताकि वे निर्णय प्रक्रिया को समझ सके। इससे उनकी झिझक, ना–समझी दूर होगी। ये आत्मविश्वास से कार्य कर पायेंगी।

24. पंचायतीराज संस्थाओं में असामाजिक तत्व निर्वाचित न हो पाये इसके लिए कुछ अनिवार्यताएं रखी जानी चाहिए। जैसे दहेज लोभी न हो, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, उपेक्षित एवं वंचित वर्ग के खिलाफ अत्याचारी न हो, अपराधी न हो, घरेलू हिंसा के दोषी न हो।

25. लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ मीडिया है। पंचायतीराज संस्थाओं के द्वारा सूचनाओं के आदान–प्रदान, विकास योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन, पंचायतीराज संस्थाओं के प्रेरक प्रसंग, पंचायती राज कार्य प्रणाली का प्रशिक्षण आदि मीडिया के द्वारा संभव है, लेकिन इस आधार स्तम्भ का सहयोग बहुत कम लिया जाता है। 'हमारा ग्राम' नाम से एक नया कॉलम बनाया जा सकता है, नया चैनल चलाया जा सकता है जो तृणमूल स्तर के लोगों में जागृति का संचार करेगा।

चुनौतियों का महत्वपूर्ण समाधान 'समुचित प्रशिक्षण' –

1. पंचायती राज संस्थाओं में समय–समय पर नाना प्रकार के नियम, उप–नियम जारी किये जाते है। मामूली पढ़े लिखे लोग विशेषकर अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं कमजोर तबके की महिला इन नियमों उपनियमों को आत्मसात नहीं कर पाती। पंचायतीराज संस्थायें भी महिला प्रतिनिधियों को अद्यतन करने में नाकाम रही है। वित्तिय संसाधनों एवं अन्य नियम/उपनियम सम्बन्धी सूचनायें शीघ्र महिला प्रतिनिधियों को सुलभ हो जाये, इसके लिए अनुभवी एवं प्रख्यात व्यक्ति जिन्होंने लंबे समय तक पंचायती राज संस्थाओं में कार्य किया है, उनकी टीम संगठित कर प्रत्येक 3–3 माह में ग्राम पंचायतों में जाकर बैठक में उपस्थित होकर पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए उन्हें प्रशिक्षित करे। प्रशिक्षण दलों के पास प्रशिक्षण सम्बन्धी पर्याप्त सामग्री हो।

2. लगभग 40 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि या तो पहली बार चुने गये है या फिर उन्हें पंचायतीराज संस्थाओं के बारे में बहुत कम ज्ञान होता है। पंचायतीराज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम एवं पुनश्चय कार्यक्रम आयोजित किये जाये।

3. पंचायत समिति स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायें जहां पर पंचायती कार्यप्रणाली का समुचित प्रशिक्षण नव निर्वाचित महिला, कमजोर तबके के निर्वाचित प्रतिनिधियों की पंचायत कार्य प्रणाली संबंधी दैनिक समस्याओं के निदान सम्बन्धी जानकारी दी जावे। ताकि वे आत्मविश्वास से पंचायत बैठक में एजेण्डे पर चर्चा कर सके।

4. व्यवहार में देखने में आया है कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों में जागरूकता एवं सहभागिता काफी बढ़ी है, लेकिन कुछ न्यूनतायें एवं व्याधियां आज भी ज्यों की त्यों विद्यमान है, जैसे योजनाओं का क्रियान्वयन, नेतृत्व क्षमता,

बैठक प्रबंध, अभिलेख संधारण, लेखा संधारण आदि कई ऐसे विषय है जिन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिला प्रतिनिधियों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता हैं।

5. पंचायती राज संस्थाओं के महिला प्रतिनिधियों की विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पर्याप्त भागीदारी नहीं रहती, क्योंकि वे घर से काफी दूर होते है। महिला की घर की काफी जिम्मेदारियां होती है। संबंधित पंचायत समिति की महिलाओं से राय मशविरा कर प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षण अवधि का निर्णय किया जावें ताकि वे अधिक संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त कर सके।

6. पंचायतीराज संस्थाओं में प्रशिक्षण केन्द्र पर मात्र संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच को ही आमंत्रित किया जाता है या प्रशिक्षण दाता मात्र सरपंच को ध्यान में रख कर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। लेकिन पंच विशेषकर महिला पंच प्रशिक्षण से अछुते रह जाते है। ग्राम पंचायत की बैठकों में उनका योगदान नगण्य रह जाता है।

7. प्रशिक्षण में पहली बार निर्वाचित महिलाओं को तवज्जों दी जायें।

8. प्रशिक्षण में नई तकनीक व संचार व्यवस्था का प्रयोग हो।

9. प्रशिक्षण मात्र औपचारिकता ही न बन जाये। इसका प्रभाव प्रतिनिधियों की कार्य क्षमता पर दिखाई भी दे।

विगत 30 वर्षों के अनुभवों से स्पष्ट है कि महिलाओं ने अपनी संख्यात्मक उपस्थिति तो बढ़ाई ही है, काफी हद तक गुणात्मक सुधार भी उनमें हुआ है। इसके लिए उन्हें अनेक सामाजिक, पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक तनावों के साथ–साथ भिन्न–भिन्न अत्याचारों का सामना भी करना पड़ता है। सन्तोषजनक पहलू यह है कि इन तमाम बाधाओं के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी हैं। धीरे–धीरे ही सही वे अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हैं। ये उम्मीद की जा सकती है कि वे अपनी मंजिल शीघ्र ही हासिल कर लेगी। इसके लिए हमें अपने सामाजिक वातावरण में सुधार करना होगा। महिलाओं की उपलब्धियों एवं उनके नेतृत्व को स्वीकार करने की सामाजिक मानसिकता बनानी होगी। जब तक यह मनःस्थिति नहीं बनती तब तक किसी भी संवैधानिक प्रावधान का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल सकता।

''नवीन पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को मिले आरक्षण तथा उनके द्वारा निभाई जा रही भूमिका से स्पष्ट है कि महिलाएं आमजन के मुद्दों को अधिक प्रभावी रूप में अभिव्यक्त कर सकती है, क्योंकि वे धरातल से जुड़ी हुई होती है, आम आदमी की समस्याओं को बखूबी समझती है तथा इन समस्याओं की भुक्तभोगी होती है। अतः आम लोगों की समस्याओं को वे अधिक सक्रियता व संवेदनशीलता से सुलझा सकती है। महिला जनप्रतिनिधियों ने इसे काफी हद तक सिद्ध भी कर दिया है। निर्वाचित महिलाओं की अधिकत्तर समस्यायें इस तथ्य को प्रदर्शित करती है कि संवैधानिक प्रावधान एवं उनकी क्रियान्वयन के बीच एक गंभीर अंतराल है एवं यह निर्वाचित महिलाओं (महिला प्रशिक्षु) की पहली पीढ़ी है जो तमाम क्रूरतम प्रतिबंधों के बावजूद भी अपनी सृजन क्षमता की अभिव्यक्ति कर रही है।

सुधार प्रभावी न होने के कारण–

73वें पंचायतीराज संशोधन अधिनियम में महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व तो दिया गया, लेकिन यह प्रतिनिधित्व अभी तक महिलाओं में अपेक्षा के अनुरूप जागरूकता एवं उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने में सफल नहीं हो पा रहा है। इसके कई सारे कारण है–

1. ग्रामीण आंचल में अशिक्षा
2. राजनीतिक शिक्षा व जागरूकता की कमी
3. मूलभूत प्रशिक्षण की कमी
4. सकारात्मक सोच की कमी
5. गुणात्मक विकास की कम
6. पिछड़ापन
7. स्वायत्ता की कमी
8. कमजोर आत्मबल
9. पुरूष वर्ग का असहयोग
10. विकास योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी का अभाव
11. कमजोर वर्ग की महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का अभाव
12. जातीय सामंजस्य में कमी
13. पंचायतीराज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का ज्ञान न होना
14. परिसीमन संबंधी बाधायें
15. बैठकों की अनियमितता
16. पराजित प्रतिनिधियों की द्वेष भावना

महिला जनप्रतिनिधियों के सामने राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में अपनी सार्थक भूमिका निभाने में बहुत सी बाधाएँ (गाँवों में परम्पराएँ और अनुदारवाद, परिवार की पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति, शिक्षा तथा संचार व्यवस्थाओं का अभाव) हैं। महिला जनप्रतिनिधि अपनी सशक्त भूमिका निभाना चाहती है, लेकिन इन बाधाओं के कारण वे षडयंत्रों की शिकार हो जाती है। अतः इनके लिए बेहतर शिक्षा तथा प्रशिक्षण की महत्ती आवश्यकता है। प्रशिक्षण के माध्यम से इनके नेतृत्व कोशल को परिष्कृत किया जा सकता है। अध्ययनकर्ता द्वारा प्रस्तुत सुझावों का यदि क्रियान्वयन हो सके तो महिला जनप्रतिनिधि पंचायतों के स्तर पर अधिक सक्रियता के साथ अधिक ऊर्जावान होकर महत्ती भूमिका निभा सकेंगी और तभी वास्तविकता में महिला सशक्तीकरण हो पायेगा। आशा की जाती है कि पंचायतराज संस्थाओं में महिलाओं के प्रवेश मात्र से उनका निजी, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तीकरण ही नहीं होगा वरन् राजनीति में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिणाम परिलक्षित होंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. विश्वनाथ गुप्ता, भारत में पंचायतीराज, सुरभि प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015
2. अभिषेक मेहता, पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती चुनौतियां, देशबंधु
3. सुभाष कश्यप, भारत का संवैधानिक विकास और स्वाधीनता संघर्ष, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली, 1970
4. होशियार सिंह, द कन्सीट्यूशनल बेस फॉर पंचायतीराज इन इंडिया : द 73 एमेन्डमेंट एक्ट,एशियन सर्वे, वाल्यूम : 24, नं. 9, रिजेन्ट यूनिवर्सिटी ऑफ केलिफोर्निया, 1994
5. राज कुमार एंड प्रूथी (सम्पादक) इन्साइक्लोपीडिया ऑफ स्टेटस एंड एम्पॉवरमेन्ट वूमन इन इंडिया, वॉल्यूम 4, मंगलदीप, जयपुर, 1999
6. डी.पी शुक्ला, आर.पी तिवारी, भारतीय नारी वर्तमान समस्या और भावी समाधान, ए.पी.एच. दिल्ली, 1999
7. किरन सक्सेना, वुमन्स एंड पॉलिटिक्स, ग्यान पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली, 2000
8. वन्दना बंसल, पंचायतीराज में महिला भागीदारी, कल्पाज पब्लिकेशन, दिल्ली, 2004
9. आशा कौशिक, नारी सशक्तिकरण– विमर्श एवं यथार्थ, पॉइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2004
10. डॉ. पूर्णमल, नवीन पंचायतीराज एवं महिला नेतृत्व पॉईन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2009
11. डॉ. मधुर राठौड़, पंचायती राज ओर महिला विकास, पॉइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2003
12. सोहन लाल, 73वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात् पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण : एक समीक्षात्मक अध्ययन, श्रीगंगानगर, 2015
13. रेणू शर्मा, पॉल्टिकल चेंज एंड स्टेटस ऑफ वुमन, यूनिवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर।
14. डॉ. बसन्तीलाल बावेल, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास योजनायें, जयपुर।
15. www.drishtiias.com
16. www.india.gov.in